प्रेस विज्ञप्ति
16.12.2025

पीएमएलए न्यायालय ने मेसर्स श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में लगभग 175 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क की गई संपत्तियों को वापस करने का आदेश दिया।

माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कलकत्ता ने दिनांक 10/12/2025 के आदेश के माध्यम से मेसर्स श्री गणेश ज्वैलरी हाउस (आई) लिमिटेड और इसके प्रमोटर-निदेशक नीलेश पारेख, उमेश पारेख, कमलेश पारेख और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय द्वारा कुर्क की गई लगभग 175 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को वापस करने की अनुमति दी, जिन्होंने धोखाधड़ी वाले बैंकिंग लेनदेन और ऋण निधि के अपयोजन के माध्यम से 25 बैंकों के संघ (कंसोर्टियम) को 2,672 करोड़ रुपये का धोखा दिया था।

ईडी की जांच में पता चला कि एसजीजेएचआईएल के प्रमोटरों ने सोना, बुलियन और आभूषणों की राउंड-ट्रिपिंग की एक जटिल योजना को अंजाम देने के लिए भारत में कई कंपनियां और दुबई, सिंगापुर और हांगकांग सहित विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां बनाई थीं। मणिकंचन, कोलकाता में निर्मित आभूषणों को उनके नियंत्रण वाली विदेशी संस्थाओं को निर्यात किया गया, अन्य संबद्ध कंपनियों के माध्यम से भेजा गया और अंततः विदेशी बाजारों में बेचा गया। हालांकि, कंसोर्टियम बैंकों को चुकाने के लिए संबंधित बिक्री की आय कभी भी भारत वापस नहीं लाई गई। इसके बजाय, कंपनी ने भारतीय बैंकों से निर्यात बिल पर छूट (डिस्काउंटिंग) की सुविधाओं का लाभ उठाया और धन प्राप्त किया, जबकि बैंक निर्यात आय को वसूलने में असमर्थ रहे। क्रेडिट सुविधाओं का दुरुपयोग, निर्यात आय को विदेश में बनाए रखना और लेनदेन को छिपाना- इस कार्यप्रणाली के माध्यम से, प्रमोटरों ने तीन गुना लाभ प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में 193.11 करोड़ रुपये की कई संपत्तियां दो अस्थायी कुर्की आदेशों के माध्यम से कुर्क की गईं।

सार्वजनिक हित की रक्षा करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक फंड की वसूली सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, ईडी द्वारा कंपनी के परिसमापक के साथ कई बैठकें बुलाई गईं। इसके बाद, परिसमापक ने कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी के लिए अपना आवेदन दायर किया, जिसे ईडी द्वारा दायर एक सहमति याचिका के माध्यम से समर्थन दिया गया, जिससे बैंक को संपत्तियों की वापसी के लिए न्यायिक विचार संभव हुआ। 10.12.2025 को, माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशंस कोर्ट, कलकत्ता ने परिसमापक को कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी की अनुमति दी, यह मानते हुए कि बैंक बकाया राशि की वैद्य वसूली का हकदार है। अदालत ने कहा कि ईडी को प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि बकाया राशि का भुगतान हो जाए और कोई भी अधिशेष पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णयन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा किया जाए।

यह धन वापस (प्रत्याहरण) वित्तीय धोखाधड़ी से प्राप्त आय को सही दावेदारों को वापस करने, सार्वजनिक धन की वसूली सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही जटिल वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म करने और बैंकिंग प्रणाली की अखंडता को कायम रखने के लिए ईडी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।